OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur./ 2422 **Dated:-** 15/04/10

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna

Sir,

Audit Report No. **690/09-10** on the accounts of **Nagar Panchayat Dhaka** for the **period 23.08.07 to 2008-09** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely

Encl: As above

(Manoj Kumar)

Sr. Audit Officer/Surcharge

नगर विकास एवं आवास विभाग
20 APR 2010
बिहार पटना

118

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 690/09–10

1.प्रस्तावना :–

नगर पंचायत ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का वर्ष 23.08.07 से 2008–09 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा दल के द्वारा दिनांक 26.11.09 से 19.12.09 तक किया गया ।

2. प्रशासन :–

क0सं0	नाम	अवधि
1. अध्यक्ष/अध्यक्षा :–		
(i)	श्रीमती कमरून निशा	01.04.04 से 09.09.04
(ii)	श्रीमती अनिता देवी	13.12.04 से 06.09.06
(iii)	श्रीमती कमरून निशा	28.09.04 से अनुपलब्ध
(iv)	श्रीमती शैमूलन खातून	09.06.07 से 31.03.09
2. उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षा :–		
(i)	श्रीमती अख्तरी बेगम	01.04.04 से 31.03.09
3. कार्यपालक पदाधिकारी :–		
(i)	श्री कुमार विनोद/बि0प्र0से0	21.08.07 से 28.02.09
(ii)	श्री अभिराम त्रिवेदी /बि0प्र0से0	01.03.09 से 31.03.09

टिप्पणी :– (2004–05 से 20.08.07 तक के कार्यपालक पदाधिकारी का नाम और अवधि अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।)

3. लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र :–

लेखा परीक्षा दल को नगर पंचायत ढ़ाका का लेखा परीक्षा का कार्य वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक का सौंपा गया था । परन्तु लेखा परीक्षा दल को 23.08.07 से 2008–09 तक के अभिलेख अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया गया । क्योंकि पूर्व के अवधि से संबंधित अभिलेख में संबंधित रोकड़पाल द्वारा प्रभार में नहीं दिया गया था एवं इससे संबंधित

मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। यद्यपि अंकेक्षण दल को कुछ अभिलेख पूर्व अवधि से संबंधित भी प्रस्तुत किये गये ।

लेखा परीक्षा दल को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट –I में दिया गया हैं और अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –II में दिया गया है ।

4. पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :–

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन लेखा परीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया । इस संबंध में अंकेक्षण दल को बताया गया कि प्रधान सहायक की आकस्मिक दुर्घटना हो गई है जिसके कारण पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिकाओं को अनुपालन किया जाना संभव नहीं है ।

इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन कर प्रतिवेदन स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय ताकि लेखा परीक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

5.(A) अधिदृश्य :–

नगर पंचायत ढ़ाका, मोतिहारी पूर्ण रूप से सरकार से प्राप्त अनुदान पर आश्रित है । वर्ष 2007–08 से 2008–09 में सामान्य रोकड़ बही के अनुसार आय–व्यय का विवरण निम्न था :–

क्र0 सं0	विवरण	23.08.07 से 31.03.08 तक वर्ष 2007–08	वर्ष 2008–09
(i)	प्रारंभिक शेष	2307990.13	2254116.53
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्ति	2752311.00	3585210.71
(iii)	कुल प्राप्ति (i+ii)	5060301.13	5839327.24
(iv)	वर्ष के दौरान व्यय	277178.60	1218559.00
(v)	पी0एल0खाता में जमा	2529006.00	–
(vi)	योग (iv+v)	2806184.00	1218559.00
(vii)	अंत शेष	2254116.53	4620768.24

(116)

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– II-B में दिया गया है)

नगर पंचायत ढ़ाका द्वारा उपलब्ध कराये गये सामान्य रोकड़ बही में सिर्फ बैंकों से संबंधित लेन–देन संधारित थे । इसके अतिरिक्त पी0एल0खाता भी संधारित थे जिसे सामान्य रोकड़ बही से अलग रखा गया था । जिसके कारण सामान्य रोकड़ बही नगर पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है ।

नगर पंचायत को प्राप्त होने वाले अनुदान को या तो सीधे बैंक में जमा किया जाता था या तो पी0एल0खाता में जमा कर दिया जाता था । लेखा परीक्षा दल को यद्यपि पी0एल0 खाता से संबद्ध रोकड़ बही एवं ट्रेजरी पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया तथापि पी0एल0 खाता के संधारण से संबंधित एक पंजी उपलब्ध कराई गई । जिसके अनुसार स्टाम्प ड्यूटी, द्वादश वित्त (2007–08), जलापूर्ति एवं वेतन अनुदान की राशि को पी0एल0 खाता में जमा दिखाया गया ।

पी0एल0 खाता से संबंधित पंजी के अनुसार 31.03.09 की

स्थिति – 2400592.55 रू0

अतः पी0एल0 खाता तथा उससे संबद्ध रोकड़ बही अगले लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई जाये । साथ ही, सामान्य रोकड़ बही का संधारण उचित तरीके से किया जाय ताकि नगर पंचायत की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

(B) समाधान विवरणी :–

नगर पंचायत ढ़ाका द्वारा 31.03.09 को सामाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था । बैंक पास बुक एवं सामान्य रोकड़ बही के अनुसार 31.03.09 को शेष का अंतर निम्न था :–

31. 03.09 को बैंक शेष की स्थिति :–	
(i) खाता सं0 01170083925 (एस0बी0आई0)	3800.13
(ii) खाता सं0 15003 (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया)	491033.40
(iii) खाता सं0 17098 (सेंट्रल को0 बैंक लि0)	144016.00
(iv) खाता सं0 15679 (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया)	40117.00

115.

(v) खाता सं0 11708448970 (एस0बी0आई0)	4023807.15
योग	**4702773.68**
सामान्य रोकड़ बही के अनुसार 31.03.09 का शेष	4620768.24
अंतर	**82005.44**

अतः उपर्युक्त अन्तर का समाधान विवरणी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय । पी0एल0 खाता से संबद्ध बही का भी शेष (बही का संधारण कर) का समाधान विवरणी भी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय ।

(C) प्रारंभिक शेष :-

उपलब्ध कराये गये सामान्य रोकड़ बही जो 23.08.07 से संधारित थी, के अनुसार प्रारंभिक शेष 2307990.13 रू0 थी । इसका विवरण निम्न है :-

विविध प्राप्ति	343021.00
विविध योजना	1964969.13*
कुल	**2307990.13(प्रारंभिक शेष)**

(i) खाता सं0 01170083925 (एस0बी0आई0)	1905040.00
(ii) खाता सं0 (एस0बी0आई0)	3800.13
(iii) खाता सं0 17098 (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया)	56129.00
कुल	**1964969.13**

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री पंकज कुमार/प्रधान सहायक सह लेखापाल के कार्यालय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यपालक पदाधिकारी (श्री दारोगा यादव) द्वारा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेशानुसार दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल के समक्ष कार्यालय का आलमीरा तोड़कर कागजात/अभिलेख प्राप्त किया गया ।

प्राप्त अभिलेखों/कागजातों की इन्वेटरी तैयार की गई जिसके अनुसार 2001 के बाद की रोकड़ बही नहीं पाई गई । तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत ढ़ाका के अनुरोध पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा द्वितीय (नये रोकड़ बही) खोलने हेतु आदेश दिया गया । जिसमें बैंक पासबुक के आधार पर दिनांक 23.08.07 से प्रारंभिक शेष की राशि लेकर नये रोकड़ बही का संधारण किया गया ।

इस संबंध में वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया कि मामला न्यायालय में लंबित है । अतः पूर्व का (23.08.07 से) अभिलेख लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई । यद्यपि 23.08.07 से पूर्व के भी कुछ अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराये जिसका विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त पी0एल0 खाते से संबंधित अवशेष राशि उस समय (23.08.07 को) रोकड़ बही में नहीं लिया गया था। बाद में, राशि रू0 97691.55 पी0 एल0 खाता की राशि के बारे में अंकेक्षण दल को बताया गया । अंकेक्षण दल को पी0एल0 खाता उपलब्ध नहीं कराया गया । यद्यपि पी0एल0 खाता से संबंधित एक पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा किया गया था । एवं उसी आधार पर इस प्रतिवेदन में 31.03.09 को शेष राशि लिया गया है ।

पूर्व के सामान्य रोकड़ बही खाते से संबंधित रोकड़ बही तथा ट्रेजरी पासबुक को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें । साथ ही माननीय न्यायालय के निर्णय के संबंध में अद्यतन स्थिति से स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को भी अवगत करावें ।

6. बजट :-

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 के धारा 71 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो माह पूर्व विस्तृत बजट प्राक्कलन तैयार करेंगें जो आगामी वर्ष में होने वाली संभावित आय एवं व्यय को दर्शाते हो । इसके लिए नगरपालिका बोर्ड बजट तैयार करने एवं पारित करने के लिए प्राधिकृत है । पुनः उपर्युक्त अधिनियम की धारा 76 के अनुसार बिना बजट प्राक्कलन पारित किये किसी भी प्रकार का व्यय नहीं

किया जा सकता है । परन्तु नगर पंचायत, ढ़ाका द्वारा बिना बजट बनाए ही व्यय किया गया । जो अनियमित था ।

अतः नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित समय पर बजट प्राक्कलन तैयार कर पारित करवाने का सुझाव दिया जाता है ।

7. महत्वपुर्ण अंकेक्षण आपत्तियाँ :-

क्र0सं0	कंडिका सं0	अभ्युक्ति
1	12	टैक्स दारोगा द्वारा 35548.63 रू0 का कम जमा/ नहीं जमा
2	13	कमीशन पर नियुक्त कर संग्राहकों द्वारा 69366.65 रू0 कम जमा/ नहीं जमा
3	14	विविध रसीद से प्राप्ति की राशि 7361.53 रू0 कम जमा/ नहीं जमा
4	15	वसूली की राशि रू0 221999.00 का सीधा विनियोग तथा 23369.50 का नहीं जमा
5	16	राशि रू0 357783.13 का जमा स्पष्ट नहीं
6	17	बकाये मकान करों की कम वसूली राशि रू0 14188.12
7	27	सफाई कार्य एवं सड़क मरम्मति पर अनियमित भुगतान
8	28	राशि रू0 33343.00 का योजना के कार्यान्वयन पर अनियमित रूप से अधिक भुगतान
9	29	योजना के अनियमित कार्यान्वयन होने से राशि रू0 179550.00 का अनियमित तरीके से भुगतान

8. आन्तरिक लेखा परीक्षा :-

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में नगर पंचायतों के लेखा के आन्तरिक अंकेक्षण की कोई स्पष्ट व्यवस्था तो नहीं है, परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के

नियम 20,30 एवं 61 एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली 1951 के नियम 37 एवं 39 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आन्तरिक जॉंच के अनेकों प्रावधान हैं। उक्त जॉंचों का उद्देश्य है कि नगर पंचायत के लेखा के संधारण एवं समन्वय पर उचित नियंत्रण रखा जाय तथा अनियमितताओं को रोका जा सके ।

परन्तु नगर पंचायतों के अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित जॉंच नहीं की गई फलस्वरूप अनेकों त्रुटियॉं पाई गई जिसका विवेचना आगे की कंडिकाओं में दी गई है नियमित अंतराल पर अभिलेखों की जॉंच की जाय ताकि किसी भी गंभीर वित्तीय अनियमितताऍं को रोका जा सके ।

9. रोकड़ बही :-

नगर पंचायत ढ़ाका द्वारा 23.08.07 से सामान्य रोकड़ बही के अतिरिक्त सहायक रोकड़ बही का संधारण किया गया था । इन रोकड़ बही में निम्नलिखित त्रुटियॉं पाई गई :-

(i) रोकड़ बही में वर्ष के अंत में आय एवं व्यय की विवरणी तैयार नहीं किया गया था ।

(ii) रोकड़ बही में बैंकों द्वारा दी गई ब्याज की राशि की प्रविष्टि नहीं की गई थी ।

(iii) चेकों से भुगतान की गई राशि के संबंध में चेक संख्या नहीं लिखी गई थी ।

(iv) पी0एल0 खाते में जमा राशि को रोकड़ बही में नहीं लिया गया था । जिसके कारण पी0एल0 खाता में जमा राशि रोकड़ बही में लेखाबद्ध नहीं हो सकी ।

(v) वर्ष के अंत में समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी

अतः उपर्युक्त वर्णित अनियमितताओं का निवारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

10. आवंटन/ अनुदान/अनुदान का उपयोग नहीं :-

नगर पंचायत ढ़ाका, मोतिहारी में वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक आवंटन पंजी का संधारण नहीं किया गया था । यद्यपि 23.08.07 से 2008-09 तक प्राप्त आवंटन का विवरण निम्न था :-

क्र0सं0	मद का नाम	अवधि	राशि
(i)	जनगणना	2007-08	3800.00
(ii)	स्टाम्प शुल्क	2007-08	335940.00
(iii)	बी0पी0एल0 सर्वे	2007-08	33618.00
(iv)	जलापूर्ति	2007-08	1270400.00
(v)	बारहवीं वित्त (xii th F.C.)	2007-08	922666.00
(vi)	बारहवीं वित्त	2008-09	461334.00
(vii)	वेतन भत्ता	2008-09	479798.00
(viii)	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान (BRGF)	2008-09	1616199.00
(ix)	कबीर अन्तयेष्ठी योजना	2008-09	60000.00

उपरोक्त वर्णित आवंटन से संबंधित पत्र की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई । इन आवंटन पत्रों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए साथ ही मदवार अनुदान की प्रविष्टि अनुदान पंजी में तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय ।

ध्यातव्य हो कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में प्राप्त आवंटन में से सिर्फ कबीर अन्तयेष्टी मद में 55000.00 रू0 एवं वेतन भत्ता तथा अन्य दैनिक मदों में प्राप्त आवंटन की राशि ही व्यय की गई । शेष किसी भी मद की कोई भी राशि व्यय नहीं की गई । अतः उपरोक्त मदों में प्राप्त राशि एवं अवशेष राशियों को यथा शीघ्र उनके संबंधित मदों में व्यय किया जाय ताकि योजनाओं का उद्देश्य पूर्ण हो सके । इसके अतिरिक्त इन योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाय ।

11. गृह कर का पुर्ननिर्धारण नहीं :–

नगर पंचायत ढ़ाका वर्ष 1986–87 में अस्तित्व में आया । नगर पंचायत मूल रूप से गृह कर से प्राप्त राजस्व पर आश्रित है । इसके लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 में यह पुर्ननिर्धारण प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाना चाहिए । परन्तु नगर पंचायत ढ़ाका के कर्मचारियों के सूचना के अनुसार 22 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी एक बार भी गृह कर का पुर्ननिर्धारण नहीं किया गया ।

यद्यपि लेखा परीक्षा दल को इससे संबंधित अभिलेख/ कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह पता चल सके कि अंतिम बार नगर पंचायत में करों का अधिरोपण कब किया गया था ।

अतः नगर पंचायत ढ़ाका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि करों का पुर्ननिर्धारण शीघ्र किया जाय ताकि यह संस्था आर्थिक रूप से आत्मा निर्भर बन सके ।

12. कम जमा/ नहीं जमा टैक्स दारोगा द्वारा कम जमा/नहीं जमा :–

नगर पंचायत ढ़ाका द्वारा माँग एवं वसूली पंजी का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 से संबंधित स्टॉक रजिस्टर भी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया । यद्यपि लेखा परीक्षा दल को दिनांक 12.04.05 से दैनिक वसूली पंजी उपलब्ध कराया गया । जिसके जाँच में पाया गया कि 35548.63 रू0 नगर पंचायत निधि में टैक्स दारोगा द्वारा जमा नहीं किया गया था ।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III में दिया गया है।)

अतः राशि रू0 35548.63 की वसूली संबंधित व्यक्ति से कर नगर पंचायत निधि में यथा शीघ्र जमा की जाय तथा इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए ।

13. कर संग्राहकों द्वारा कम वसूली/नहीं जमा :–

(i) श्री शमशाद आलम/ कर संग्राहक :–

कर संग्राहक श्री शमशाद आलम को निर्गत की गई ‘ एच’ रसीद संख्या 1401 से 1500 एवं 1701–1800 की जाँच में पाया गया कि

409

35143.40 रू0 गृह कर वसूली की राशि नगर पंचायत कोष में जमा नहीं की गई थी ।

क0सं0	'एच' रसीद सं0/दिनांक	राशि	अभियुक्ति
1	1701–1727/11.07.09 से 08.10.09	24297.00	जमा नहीं
2	1728–1735/04.11.09से 26.11.09	10846.00	जमा नहीं
	कुल	35143.40	

अतः इस राशि प्रकार कुल रू0 35143.40 की वसूली संबंधित व्यक्ति से यथाशीघ्र करके नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय ।

(ii) श्री शाहीद अनवर/ कर संग्राहक :–

श्री शाहीद अनवर, कर संग्राहक द्वारा 'एच' रसीद संख्या 1201 से 1232 दिनांक 24.07.08 से 10.10.09 तक कुल वसूली 17537.00 रू0 की गई थी । जिसमें से 'एच' रसीद संख्या 1201 से 1228 तक 15043.00 रू0 की वसूली में 602.00 रू0 कमीशन (4प्रतिशत की दर से) काट कर 14442.00 रू0 जमा करना था परन्तु 14426.00 रू0 ही जमा की गई । इस प्रकार 16.00 रू0 (14442–14426) कम जमा की गई । साथ ही 'एच' रसीद संख्या 1229 से 1232 दिनांक 02.04.09 से 10.10.09 तक 2494.00 रू0 वसूली गई परन्तु यह राशि नगर पंचायत निधि में जमा नहीं की गई । इसके अतिरिक्त रसीद संख्या 1229 से 1232 का संधारण भी दैनिक वसूली पंजी में नहीं किया गया था ।

अतः इस प्रकार कुल राशि रू0 2510.00 की वसूली संबंधित कर संग्राहक से कर नगर पंचायत निधि/ सरकारी कोष में जमा किया जाय । साथ ही इसका संधारण दैनिक वसूली पंजी में किया जाय ।

(iii) श्री खुर्शीद आलम/कर संग्राहक :–

श्री खुर्शीद आलम/ कर संग्राहक द्वारा 'एच' रसीद संख्या 1518 से 1600 दिनांक 06.09.08 से 28.03.09 तक कुल 80621.97 रू0 वसूली गई जिसमें से 4 प्रतिशत की दर से कमीशन की राशि रू0 3225.00 की कटौती कर 77397.00 रू0 नगर पंचायत कोष में जमा करना था । परन्तु मात्र 76400.00 रू0 ही (विविध रसीद संख्या 3421/31.

03.09) जमा किया गया । इस प्रकार 997.00 रू0 (77397-76400) कम जमा किया गया ।

आगे 'एच' रसीद संख्या 1668 से 1675 दिनांक 31.10.09 से 10.11.09 तक कुल 22926.25 रू0 वसूली गई । परन्तु यह राशि 19.12.09 तक बैंक में जमा नहीं दिखाई गई ।

अतः कुल राशि रू0 23923.25 (997+22926.25) को नगर पंचायत निधि में शीघ्र जमा की जाय ।

(iv) श्री मो0 सलाउद्दीन/कर संग्राहक :-

श्री मो0 सलाउद्दीन/कर संग्रहक द्वारा 'एच' रसीद संख्या 1301 से 1319 दिनांक 04.08.08 से 26.06.09 तक 11337.00 रू0 वसूल की गई । जिसमें से 3547.00 रू0 (रसीद संख्या 1301-1304) ही जमा किया गया । शेष राशि 7790.00 रू0 (11337-3547) नगर पंचायत निधि में जमा नहीं की गई । इसके अतिरिक्त रसीद संख्या 1305 से 1319 तक का संधारण दैनिक वसूली पंजी में भी नहीं किया गया था।

अतः 7790.00 रू0 को नगर पंचायत निधि में शीघ्र जमा कि जाय एवं इनका संधारण दैनिक संग्रह पंजी में भी किया जाय ।

14. विविध रसीद की राशि जमा नहीं/ कम जमा :-

श्री सनाउल्लाह, टैक्स दारोगा द्वारा निर्गत की गइ्र विविध रसीद से 204636.00 रू0 वसूल की गई जिसमें से मात्र 197274.27 रू0 ही जमा किया गया इस प्रकार 7361.53 रू0 (204636-197274.27) कम जमा किया गया । जिसे नगर पंचायत कोष में शीघ्र जमा कर लेखा परीक्षा विभाग को अवगत कराया जाय ।

	वसूली की विवरण		
क0सं0	**विविध रसीद सं0**	**दिनांक**	**वसूली की राशि**
(i)	2961 से 3000	09.04.04 से 19.04.05	11146.00
(ii)	2607 से 2637	20.04.05 से 08.02.06	19370.00
(iii)	3301 से 3333	02.05.06 से 04.02.08	165586.00
(iv)	3334 से 3361	01.04.09 से 13.07.09	8534.00

(107)

कुल	204636.00

	जमा का विवरण	
क0सं0	जमा का विवरण/दिनांक	राशि
(i)	वि0र0 3121/05.01.05	30658.47
(ii)	वि0र0 3127/15.02.06	2600.00
(iii)	सेंट्रल बैंक/ 07.04.07	153600.00
(iv)	सेंट्रल बैंक/ 30.04.07	10116.00
(v)	वि0र0 3423/31.03.09	300.00
	कुल	197274.47

कम जमा/नहीं जमा - (204636-197274.47) =7361.53

15. वसूली की राशि का सीधा विनियोग रू0 221999.00 :-

नगर पंचायत ढ़ाका, मोतिहारी को प्राप्त होने वाले राजस्व के विरूद्व नाजीर द्वारा विविध रसीद जारी किया जाता था । इस प्रकार जारी विविध रसीद संख्या 3401 से 3459 दिनांक 03.01.08 से 22.10.08 तक के जाँच में पाया गया कि नाजीर द्वारा कुल 1545155.50 रू0 प्राप्त किया गया । (विस्तृत विवरण परिशिष्ट- IV में दिया गया है।) । जिसमें से 652200.00रू0 चेक अथवा ड्राफ्ट से प्राप्त की गई थी । जबकि शेष राशि 892955.50 (1545155.50-652200.00) नगद प्राप्त की गई। नगद प्राप्त राशि में से नाजीर द्वारा 647587.00 रू0 मात्र जमा की गई जबकि 221999.00 रू0 (सफाई कार्य- 93149.00, कबीर अन्त्येष्टी- 90000.00, आर्थिक गणना- 15800.00, अग्रिम भुगतान- 23050.00) का सीधा विनियोग किया गया एवं शेष राशि रू0 23369.50 नाजीर अपने पास ही रखे रहा, जो काफी गंभीर वित्तीय अनियमितता था।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 22 के अनुसार नगरपालिका द्वारा वसूल की गई राशि को बिना व्यय किये यथाशीघ्र सुविधापूर्वक कोषागार में जमा किये जाने का प्रावधान है और किसी भी

106

परिस्थिति में वसूली की राशि को सीधा व्यय करके विनियोजित नहीं किया जाना चाहिए । जबकि नगर पंचायत ढ़ाका द्वारा कुल 221999.00 रू0 का सीधा विनियोजन किया गया । यह गंभीर मामला है ।

अतः नगर पंचायत ढ़ाका के कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि विनियोजित की गई राशि को नियमानुसार यथाशीघ्र समायोजित कर नियमित किया जाए एवं शेष राशि रू0 23369.50 की वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा सुनिश्चित की जाए । सीधे विनियोग की गई राशि 221999.00 रू0 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

16. जमा स्पष्ट नहीं :-

नगर पंचायत ढ़ाका के टैक्स दारोगा द्वारा वसूल की गई राशि प्रधान सहायक सह लेखापाल (श्री पंकज कुमार) के यहाँ जमा कर रसीद प्राप्त कर ली गई थी । परन्तु (श्री पंकज कुमार) प्रधान सहायक सह लेखापाल के द्वारा प्राप्त की गई उक्त राशि जमा की गई है या नहीं, अंकेक्षण दल को नहीं दिखाया गया है । उल्लेखनीय है कि इस अवधि से संबंधित कोई भी कागजात (यथा रोकड़ बही, बैंक पास बुक) कार्यालय में उपलब्ध नहीं था । प्राप्त किये गये राशि का विवरण निम्न है :-

क0सं0	रसीद सं0/दिनांक	कुल राशि
1	3114/11.05.05	9428.00
2	3122/05.12.05	97068.00
3	3038/15.10.05	5000.00
4	3043/24.10.05	19000.00
5	3124/26.12.05	56181.00
6	3125/28.01.06	6407.00
7	3126/15.02.06	42000.00
8	3128/14.03.06	9887.00
9	3129/31.03.06	5100.00
10	3141/11.05.06	12937.00
11	3602/22.07.06	15586.66

(105

12	3604/16.11.06	45930.00
13	3121/05.10.05	30658.47
14	3127/15.02.06	2600.00
	कुल	**357783.13**

इस संबंध में लेखा परीक्षा दल को यह बताया गया कि वसूली की राशि का जमा का सत्यापन करने हेतु अग्रेतर कार्यवाई की जा रही है । अतः उपरोक्त राशि रू0 357783.13 का जमा का सत्यापन कर स्थानीय लेखा परीक्षक कार्यालय को अविलम्ब सूचित किया जाय ।

17. बकाये मकान करों की कम वसूली :-

मकान कर रसीद बही की जाँच से यह पता चला कि कर संग्राहकों के द्वारा करदाताओं से पूर्ण बकाये कर की वसूली नहीं की गई थी । जबकि पूर्ण बकाये की राशि वसूलना चाहिए था । विवरण निम्न है :-

क्र0 सं0	करदाता का नाम/महल्ला	मकान सं0	बकाये की कुल राशि		वसूली की राशि		अंतर
			अवधि	राशि	रसीद सं0	दि0 राशि	
1	श्री मो0 मोस्तकीम/ 15.09.05	122	93-94से 05-06	1207.85	06/15.09.05	905.63	301.87
2	श्री हाजी सफी अहमद/ 15.09.05	04	93-94से 05-06	5175.00	07/15.09.05	3018.75	2156.25
3	श्री शे0इसरामील/ 19.09.05 ढ़ाका मोहबतपुर	105	93-94से 05-06	3105.00	10/19.09.05	1035.00	2070.00
4	श्री इसरीसाह/ गुदरी बजार	155	93-94से 05-06	8280.00	13/21.09.05	1380.00	6900.00
5	श्री अजीत कु0 सिंह/ पटेल नगर	41	93-94से 05-06	4140.00	15/22.09.05	1380.00	2760.00
						कुल	**14188.12**

अतः उपर्युक्त वर्णित रसीदों की बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जाय एवं इनसे संबंधित अन्य मामलों की भी जाँच कर बकाया राशि की शीघ्र वसूली कर लेखा परीक्षा विभाग को अवगत कराया जाय ।

18. पूर्व अवधि के मकान कर की वसूली नहीं :-

मकान कर रसीद पंजी की जाँच से यह पता चला कि कर की वसूली के समय पूर्व में कर की वसूली का रसीद संख्या एवं तिथि वर्तमान वसूली के समय मकान कर की रसीद पर अंकित नहीं था । जिससे यह पता नहीं चल सका कि पूर्व वर्ष की वसूली हुई थी या नहीं । इस प्रकार वसूल की गई रसीद का विवरण निम्न है :-

क्र0 सं0	करदाता का नाम	मकान सं0	मुहल्ला	वर्तमान कर की वसूली			पूर्व में वसूलनीय मकान कर की राशि 93-94 से 02-03
				वर्ष	रसीद सं0/दि0	राशि	
1	श्री महबुब मियां	202	बिसरहिया	03-04से 07-08	507/17.04.07	87.00	10X17.25=172.50
2	श्री युसुफ खाँ	364	ढ़ाका वदन वृता टोला	02-03से 07-08	511/17.04.07	82.00	09X17.25=155.75
3	श्री अर्जुन प्र0	77	राजेपुर	06-07से 07-08	517/17.04.07	172.50	13X86.25 =1121.25
4	श्री मंजूर अंसारी	332	ढ़ाका बाजार	07-08	530/17.04.07	58.00	14X58.00 =812.00
5	श्री राजमंगल राउत	30	ढ़ाका पटेल नगर	02-03से 07-08	531/17.04.07	517.50	9X86.25 =776.25
6	श्री अब्दुल करीम	34	लटन ढ़ाका	02-03से 07-08	533/18.04.07	207.00	9X34.50 =310.50
7	श्री मो0 जुबैर	81	लटन ढ़ाका	02-03से 07-08	535/18.04.07	259.00	9X43.13 =388.17
8	श्री हाजी सफी अहमद	04	ढ़ाका पटेल नगर	01-02से 05-06	08/19.09.05	2587.50	7X431.25 =3018.75
9	श्री राम नारायण साह	34	ढ़ाका बाजार	96-97से 98-99	38/07.10.07	388.14	3X48.50 =145.50

(103)

10	श्री अख्तर हुसैन	39	ढ़ाका बाजार	97-98	39/07. 10.05	828.00	04X828.00 = 3312.00
						कुल	10212.67

अतः उपरोक्त वर्णित रसीदों तथा राशि रू0 10212.67 के बारे में जानकारी अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय ।

19. मकान कर की वसूली नहीं :-

मकान कर मॉंग पंजी की जॉंच से यह पता चला कि वर्ष 1993-94 से मकान कर, मल कर, शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर मकान मालिकों पर लगाया गया था तथा वसूली भी प्रांरभ कर दी गई थी । परन्तु निम्नलिखित करदाताओं से शुरू से आज तक अर्थात (1993-94 से 2008-09) तक वसूली नहीं की गई थी तथा वसूली हेतु कोई कानूनी कारवाई भी नहीं की गई थी । जिससे करदाताओं के यहाँ बकाये मकान कर की राशि बढ़ती जा रही है । वसूली न किये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया । विवरण निम्न है :-

क0 सं0	करदाता का नाम	महल्ला	मकान सं0	मॉंग प्रति वर्ष	बकाये का वर्ष	कुल वर्ष	कुल मांग
1	श्री अब्दुल बदुद	मदनी टोला	01	129.38	93-94से 08-09	16	2070.08
2	श्री मोतीउर रहमान	मदनी टोला	03	25.88	93-94से 08-09	16	414.08
3	श्री मो0 नईम	मदनी टोला	05	25.88	93-94से 08-09	16	414.08
4	श्री जहरूल हक	मदनी टोला	06	25.88	93-94से 08-09	16	414.08
5	श्री अतिउल्लाह	मदनी टोला	08	43.13	93-94से 08-09	16	690.00
6	श्री नेक मोहम्मद	मदनी टोला	09	60.38	93-94से 08-09	16	966.08
7	श्री मोलवी अहमद हुसैन	मदनी टोला	10	172.50	93-94से 08-09	16	2760.00

8	श्री रहमुतुल्लाह	मदनी टोला	11	215.63	93–94से 08–09	16	3450.08
9	श्री मो0 वजीर	मदनी टोला	29	129.38	93–94से 08–09	16	2070.08
10	श्री अबुल खैर	मदनी टोला	30	172.50	93–94से 08–09	16	2760.00
11	श्री मोस्तकीम अंसारी	मदनी टोला	40	215.63	93–94से 08–09	16	3450.08
12	श्री राजेन्द्र प्र0 साह	मदनी टोला	46	129.38	93–94से 08–09	16	2070.08
						कुल	21528.72

अतः उपरोक्त बकाये राशि रू0 21528.72 की वसूली शीघ्र की जाय। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य मामलों की भी जाँच की जाय तथा वसूली हेतु ठोस कारवाई की जाय । ताकि नगर पंचायत आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बन सके ।

20. शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं :–

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल की गई मकान कर की राशि का 50 प्रतिशत की राशि के बराबर शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर वसूल करने का प्रावधान है । साथ ही, इस प्रकार वसूली गई राशि में से 10 प्रतिशत की राशि संग्रहण शुल्क के रूप में कटौती करके शेष राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना है ।

नगर पंचायत ढ़ाका द्वारा माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था । इस कारण शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि की वास्तविक वसूली का पता लेखा परीक्षा द्वारा नहीं लगाया जा सका । लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये दैनिक वसूली पंजी के अनुसार 'एच' रसीद से वर्ष 2005–06 से 2008–09 में कुल 1046774.25 रू0 की वसूली की गई । जिसका विवरण निम्न है :–

क0सं0	वर्ष	'एच' रसीद से कुल वसूली

101

1	2005–06	409672.32
2	2006–07	147592.56
3	2007–08	304457.90
4	2008–09	185051.47
	कुल	**1046774.25**

अतः कुल प्राप्त राशि रू0 1046774.25 में से शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का आकलन कर उसमें से 10 प्रतिशत की राशि संग्रहण शुल्क के रूप में कटौती कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करावें । इसके अतिरिक्त माँग एवं वसूली पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय ।

21. निम्नलिखित मकान कर रसीद के द्वारा मल कर, शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली नहीं :–

मकान कर रसीद की जाँच से यह पता चला कि निम्नलिखित व्यक्तियों (करदाताओं) से मलकर, शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली नहीं की गई थी । जिसका विवरण निम्न है :–

क0 सं0	करदाता का नाम	फार्म 'बी' के अनुसार मकान सं0	मोहल्ला	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि		अंतर
					रसीद सं0/ दि0	राशि	
1.	श्री अब्दुल मतीन	411	ढ़ाका रामचन्द्र	मकान कर– 25			
				मल कर– 10			
				शिक्षा उपकर– 12.50			
				स्वास्थ्य उपकर– 12.50 60.00	457/19.02.07	25.00	35.00
2.	श्री राजेन्द्र प्र0 साह	659	ढ़ाका चैनपुर	–वही– 60.00	459/20.02.07	25.00	35.00
3.	श्री मो0 सलीम	291	औरैया	–वही– 60.00	474/14.03.07	25.00	35.00
4.	श्री मुस्ताक	190	ढ़ाका आजाद नगर	–वही– 60.00	475/14.03.07	25.00	35.00
5.	श्री राजन कुमार	388	बिसरहिया	–वही– 60.00	501/29.03.07	25.00	35.00
6.	श्रीमती उषा देवी	660	चैनपुर ढ़ाका	–वही– 60.00	502/29.03.07	25.00	35.00

100

99

7.	श्रीमती समसीदा खातुन	346	पिपरा वाजिद	–वही– 60.00	503/30.03.07	25.00	35.00
8.	श्री डा़ अहमद	344	बाजार एरिया	–वही– 60.00	128/04.03.06	25.00	35.00
9.	श्री मो0 फैजुद्दीन	343	पिपरा वाजिद	–वही– 60.00	173/12.08.06	25.00	35.00
10.	श्री मो0 जियाउलहक	409	ढ़ाका रामचन्द्र	–वही– 60.00	188/07.11.06	25.00	35.00
11.	श्री मो0 प्रवेज	345	पिपरा वाजिद	–वही– 60.00	189/08.11.06	25.00	35.00
12.	श्री मो0 मोकीम	410	ढ़ाका रामचन्द्र	–वही– 60.00	197/21.12.06	25.00	35.00
13.	श्री मिर अब्दुल बारी	154	मोहब्बतपुर	–वही– 60.00	48/24.10.05	25.00	35.00
						कुल	**455.00**

उपरोक्त मकानों से कुल रू0 455.00 की वसूली कर इसका प्रमाण अगले अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाय

22. कर संग्रह रसीद बही की जाँच में निम्नलिखि अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गई :-

1. मकान कर संग्रह रसीद रद्द करने के बाद फिर निर्गत नहीं करना :-

मकान कर संग्रह रसीद की जाँच से यह पता चला कि निम्नलिखित रसीद संबंधित व्यक्तियों/ करदाताओं के नाम से निर्गत की गई थी परन्तु किसी कारण वश ये सभी रसीद रद्द कर दी गई परन्तु पुनः संबंधित करदाताओं से मकान कर की वसूली नहीं की गई थी । अगर पुनः वसूली गयी हो तब मकान कर रसीद संख्या एवं रद्द क्यों की गई थी, कारण स्पष्ट नहीं किया गया । रद्द की गई मकान कर रसीद का विवरण निम्न है :-

(97)

क0 सं0	रसीद सं0/दिनांक	करदाता का नाम	मकान सं0	मोहल्ला	अवधि	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	493/30.03.07	श्री मैनुल्लाह अंसारी	154	चैनपुर ढ़ाका	02-03से 06-07	44.00	
2	63/03.12.05	श्री अजीत कुमार	98	ढ़ाका मदनी टोला	97-98से 05-06	2024.00	
3	312/21.04.07	श्री मजहर अंसारी	110	पीपरा वाजीद	93-94से 07-08	259.00	
4	313/21.04.07	श्री सफीक मियाँ	275	-वही-	93-94से 07-08	647.00	
5	508/17.04.07	श्री महबुब मियाँ	202	विसरहिया	03-04से 07-08	390.00	
6	1027/26.04.07	श्री बली मोहम्मद	121	ढ़ाका रामचन्द्र	नहीं दिखाया गया	518.00	
7	1024/26.04.07	श्री मो0 कबीर	135	-वही-	93-94से 07-08	647.00	
8	1041/26.04.07	श्री रसूल अमीन	171	पिपरा वाजीद	93-94से 07-08	259.00	
9	313/- नहीं -	श्री सफीक मियाँ	275	-वही-	93-94से 07-08	647.00	
					कुल	**5435.00**	

(96)

नोटः– कम संख्या 2 से संबंधित रसीद रद्द कर दिया गया था । तथा पुनः 64/03.12.05 के द्वारा कर की वसूली 1656.00 का किया गया । अर्थात रद्द करने के बाद 368.00 रू0 कम की वसूली की गई थी ।

अतः उपरोक्त मकान कर रसीदों के रद्ध किये जाने का कारण तथा आगे की गई वसूली बारे में जानकारी अगले अंकेक्षण में स्पष्ट की जाय ।

23. कमीशन पर नियुक्त कर संग्राहकों को देय कमीशन की राशि के भुगतान की गलत प्रकिया :–

नगर पंचायत ढ़ाका द्वारा चार कर संग्राहकों की नियुक्ति की गई थी जिनके द्वारा कुल वसूली (गृह कर) का 4 प्रतिशत कमीशन के रूप कटौती करके शेष राशि को नगर पंचायत कोष में जमा किया जाता था । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कर संग्राहकों द्वारा कमीशन की राशि ज्यादा काट लिया जाता है (जैसा कि कंडिका 12 (ii)पर दिया गया है) एवं कम राशि नगर पंचायत कोष में जमा किया जाता है ।

अतः नगर पंचायत प्रशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि कर संग्राहकों द्वारा वसूल की गई सम्पूर्ण राशि को सर्वप्रथम नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय तत्पश्चात उनके कुल वसूली पर 4 प्रतिशत की दर से कमीशन का भुगतान किया जाय ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोका जा सके ।

24. पेशाकर तथा खतरनाक एवं भयावह व्यापार पर लगने वाले करों का अधिरोपण नहीं :–

नगर पंचायत ढ़ाका, मोतिहारी वर्ष 1986 में अस्तित्व में आया । उसके पश्चात वर्ष 1993–94 से गृह कर की वसूली की गई । परन्तु उस अवधि के बाद नगर पंचायत द्वारा न तो पेशाकर और न ही खतरनाक एवं भयावह व्यापार पर किसी प्रकार का कोई कर अधिरोपित किया गया ।

अतः नगर पंचायत ढ़ाका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एंव कार्यपालक पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 के नियम 150 A के अनुसार पेशाकर तथा खतरनाक एवं भयावह व्यापार पर कर का अधिरोपण किया जाय ताकि नगर पंचायत आर्थिक रूप से मजबूत बन सके ।

25. **दैनिक मजदुरों पर व्यय :-**

नगर पंचायत ढ़ाका के अन्तर्गत 5 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं । इस संदर्भ में राज्य सरकार नगर विकास विभाग की ओर से दैनिक मजदूरों से काम नहीं करवाने हेतु कई पत्र निर्गत किया जा चुका है । इसके बावजूद भी नगर पंचायत के द्वारा दैनिक मजदूरों से काम लिया गया था तथा कुल 29094.00 रू0 का भुगतान किया गया था जो सरकार का आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है । जिसका विवरण निम्न है :-

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0	मजदूरों का नाम	कार्य की तिथि	कुल भुगतान	अभ्युक्ति
1	1	मो0 सलाउद्दीन/ ट्रैक्टर चालक	22.06.07से 30.06.07	7200.00	ट्रेक्टर न0 BR 05A/0589 के द्वारा 800/- प्रतिदिन के अनुसार 9दिन का
2	2	गनेशी महतो से गेना महतो	22.06.07से 28.06.07	4312.00	
3	3	गनेशी महतो से गेना महतो	2906.07से 30.06.07	1232.00	
4	4	मो0 सलाउद्दीन/ ट्रैक्टर चालक	0607.07से 11.07.07	4800.00	
5	5	गनेशी महतो से गेना महतो	0607.07से 11.07.07	3696.00	
6	6	कमल महतो से शिवानन्दन महतो	26.06.07से 27.06.07	924.00	
7	8	सियाराम महतो से शिवानन्दन महतो	20.06.07से 24.06.07	3234.00	
8	16	गनेशी महतो से गेना महतो	15.07.07से 20.07.07	3696.00	
			कुल	**29094.00**	

इस संबंध में लेखा परीक्षा को बताया गया कि पर्व–त्योहार के अवसर पर अतिरिक्त मजदूर लगाकर साफ–सफाई का कार्य कराया जाता है जिसके संबंध में बोर्ड से स्वीकृति लेने के पश्चात ही एवं कार्य की संतुष्टि के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है । परन्तु इससे संबंधित कोई भी कागजात लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया । भुगतान से संबंधित बोर्ड के आदेश की प्रति दिखलाये जाने तथा सरकार द्वारा इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त किय जाने तक दैनिक मजदूरों को भुगतान की गई कुल राशि रू0 29094.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

26. विविध टैक्स संबंधी सहायक रोकड़ बही (पृष्ठ संख्या 19):–

विविध टैक्स संबंधी सहायक रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 19 के अनुसार, श्री वशीर अहमद, कनीय अभियन्ता के द्वारा सभी वार्डो में सफाई का कार्य माह जनवरी 2008 में कराया गया जिसके लिए कनीय अभियन्ता को 40000.00 रू0 अग्रिम दिया गया, कनीय अभियन्ता के द्वारा यह कार्य पूर्ण करने के बाद समायोजन हेतु 109350.00 रू0 का अभिश्रव प्रस्तुत किया गया जिसमें 40000.00 रू0 अग्रिम का समायोजन कर 69350.00 रू0 नाजीर के द्वारा भुगतान कर दिया गया ।

कराये गये कार्य एवं उनके भुगतान का विवरण निम्न है :–

क0सं0	वार्ड सं0	कुल मजदूर	कार्य दिवस	कुल भुगतान	अभ्युक्ति
1	1	10	05.01.08 से 11.01.08	4860.00	(i) वार्ड न0 12 में 25 मजदूरों से कार्य कराया गया था तथा 12150.00 रू0 का भुगतान की गई थी । परन्तु कार्य की आवश्यकता का आदेश नहीं था।
2	2	10	05.01.08 से 11.01.08	4860.00	
3	3	10	05.01.08 से 11.01.08	4860.00	
4	4	10	05.01.08 से 11.01.08	4860.00	
5	5	10	05.01.08 से 11.01.08	4860.00	
6	6	10	16.01.08 से 22.01.08	4860.00	
7	7	10	12.01.08 से 18.01.08	4860.00	
8	8	10	05.01.08 से 11.01.08	4860.00	(ii) मस्टर रोल पृ0सं0 20 के अनुसार वार्ड न0 17 में 10 सफाई मजदूरों के द्वारा 23.01.08 से 29.01.08 तक कार्य दिखाया गया था । जिसमें 26.01.08 अर्थात गणतंत्र दिवस को भी कार्य दिखाया गया था । जबकि उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित है । कारण स्पष्ट किया
9	9	10	08.01.08 से 14.01.08	4860.00	
10	10	10	05.01.08 से 14.01.08	4860.00	
11	11	10	05.01.08 से 14.01.08	4860.00	
12	12	25	16.01.08 से 22.01.08	12150.00	
			23.01.08 से 29.01.08		
			01.02.08 से 07.02.08		
13	13	10	15.01.08 से 21.01.08	4860.00	
14	14	10	05.01.08 से 11.01.08	4860.00	
15	15	10	15.01.08 से 21.01.08	4860.00	
16	16	20	05.01.08 से 11.01.08	9720.00	

17	17	10	23.01.08 से 29.01.08	4860.00	जाय ।
18	18	10	10.01.08 से 16.01.08	4860.00	
19	19	10	05.01.08 से 11.01.08	4860.00	
20	20	10	08.01.08 से 14.01.08	4860.00	
			कुल	**109350.00**	

94

अभिश्रव एवं संलग्न अभिलेख से यह पता नहीं चल सका कि यह निर्णय आम सभा में वार्ड सदस्यों के द्वारा ली गई थी या नहीं तथा सशक्त स्थायी समिति के द्वारा अनुमोदन प्राप्त था या नहीं ।

इस संबंध में लेखा परीक्षा दल को बताया गया कि सफाई कार्य करवाने से संबंधित प्रस्ताव आम सभा द्वारा पारित किया गया था तथा सफाई कार्य से संतुष्ट होने के उपरान्त (वार्ड पार्षद एवं अध्यक्ष द्वारा) ही मजदूरी का भुगतान किया गया था । परन्तु इससे संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया ।

40000.00 रू0 अग्रिम की भुगतान कनीय अभियन्ता को किया गया था । जबकि समायोजन के बाद 69350.00 रू0 का भुगतान कनीय अभियन्ता को 20.06.08 को किया गया था । जबकि कार्य जनवरी 2008 में कराया गया था । ऐसी स्थिति में मजदूरों का भुगतान समय पर कैसे किया गया था ।

इसका भी स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा दल को नहीं दिया गया । उपरोक्त बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिये जाने तक कुल भुगतान की राशि संख्या 109350.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है ।

27. विलोपित :-

28. अधिक भुगतान :-

योजना का नाम - नगर पंचायत ढ़ाका के वार्ड नं0 में महादेव प्रसाद के दरवाजा से जगन प्रसाद के दरवाजा तक पक्का नाली का निर्माण ।

योजना संख्या - 22/06-07

प्राक्कलित राशि - 380300.00 रू0

अभिकर्त्ता का नाम - श्री खैरूसल्लाह/आदेशपाल

अंतिम विपत्र का भुगतान - 380300.00 रू0 (28.05.09)

अंकेक्षण के क्रम में यह देखा गया कि कनीय अभियन्ता द्वारा अंतिम विपत्र की मापी 29.10.06 को मापी पुस्तिका में अंकित की गई । जिसे सहायक अभियन्ता एन0 आर0ई0पी0 प्रमंडल मोतिहारी द्वारा 30.10.06 को जाँची गई । विपत्र पारित करने के समय अभिकर्त्ता द्वारा कुल

120372.00 रू0 का मस्टर रॉल तथा 269971.00 रू0 का अभिश्रव सहित कुल 390343.00 रू0 का विपत्र प्रस्तुत किया गया । नियमानुसार विपत्र की राशि को प्राक्कलित राशि से सीमित कर विपत्र पारित किया गया ।

अंकेक्षण में यह भी देखा गया कि मस्टर रॉल कुल 120372.00 रू0 की जगह मात्र 118746.00 रू0 का ही संचिका में उपलब्ध था । इन मस्टर रोलो की जॉँच के क्रम में यह भी देखा गया कि 31,104.00 रू0 का मस्टर रॉल 29.10.96 से 10.12.06 के बीच की अवधि का था जो अंतिम मापी की तिथि के बाद का था । इसके अतिरिक्त 10656.00 रू0 का ऐसा मस्टर रॉल पाया गया जिस पर न तो योजना सं0 अंकित की गई और न कार्य करने की तिथि ही अंकित की गई ।

ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त दोनों प्रकार के मस्टर रॉल जो कुल 41760.00 रू0 (31104+10656) का था को आधार मानकर भुगतान करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अभिकर्त्ता को नियमानुसार निम्नलिखित राशि भुगतान करने योग्य बनता है :-

कुल मस्टर रॉल की राशि	118746.00
अमान्य मस्टर रॉल की राशि	(–) 41760.00
शेष मस्टर रॉल की राशि	76986.00
कुल अभिश्रव की राशि	(+) 269971.00
कुल भुगतेय राशि	346957.00
कुल भुगतान की गई राशि	380300.00
अधिक भुगतान की राशि	33343.00

इस प्रकार इस योजना में 33343.00 रू0 का अभिकर्त्ता को अधिक भुगतान किया गया ।

अतः इस योजना में किया गया अधिक भुगतान की राशि रू0 33343.00 की वसूली संबंधित अभिकर्त्ता से कर लेखा परीक्षा विभाग को अवगत कराया जाय ।

(91)

इसके अतिरिक्त इस योजना में किया गया शेष भुगतान रू0 1,69525.00 में लेखा परीक्षा दल को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराइ गई । क्योंकि इस राशि का भुगतान **विविध योजना मद*** से संबंधित राशि में से किया गया था जिससे यह पता नहीं लग सका कि वास्तव में विविध मद में इस योजना के भुगतान हेतु राशि थी भी या नहीं ।

अतः इसके संबंध में जानकारी अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराई जाई।

***विविध योजना मद –**

इस मद में सभी योजनाओं की राशि सम्मिलित करके रखी गई थी परन्तु किस मद की कितनी राशि थी । इसका अंकेक्षण दल को उल्लेख नहीं किया गया था । यद्यपि इसकी चर्चा पूर्व के कंडिका चर्चा पूर्व के कंडिका संख्या 5 पर किया गया है ।

29. योजना सं0 14/2006–07

योजना का नाम– वार्ड न0 1 में राजकुमार साह के घर से गगनदेव सिंह के घर तक सड़क निर्माण कार्य

प्राक्कलित राशि – 183300.00

कार्यादेश की तिथि – ज्ञापांक 66 दिनांक 17.05.06

एकरारनामा की तिथि – 17.05.06 (कार्य पूर्ण की तिथि 2 माह अर्थात 17.07.06) ।

कार्य पूर्ण की तिथि – 08.02.07 (मस्टर रॉल के अनुसार)

अभिकर्त्ता का नाम – श्री खेरूल्लाह/आदेशपाल

इस योजना में मस्टर रॉल, अभिश्रव एवं मापी पुस्त तथा कार्यादेश, कार्य पूर्ण की तिथि आदि अंकेक्षण दल के द्वारा जाँच की गई जिसमें निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गई थी :–

क0 सं0	**मस्टर रॉल पृष्ठ सं0**	**कार्य दिवस**	**कुल मिस्त्री /मजदूर**	**कुल भुगतान**
1	13	15.01.07 से 20.01.07	–/17	6936.00
2	12	21.01.07 से 26.01.07	–/17	6936.00
3	11	28.01.07 से 02.02.07	6/–	3150.00